UPSR010011852026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (एस० सी०/एस० टी० एक्ट), श्रावस्ती

जमानत आवेदन पत्र संख्या–451/2026

1– राम गोपाल वर्मा उम्र करीब 36 वर्ष पुत्र देवी प्रसाद,

2– शिवपाल वर्मा उम्र करीब 32 वर्ष पुत्र देवी प्रसाद,

3– राम पाल वर्मा उम्र करीब 30 वर्ष पुत्र देवी प्रसाद

निवासीगण ग्राम धोबहा, दा० धर्मपुर, थाना इकौना, जनपद श्रावस्ती।

.....प्रार्थीगण/अभियुक्तगण।

बनाम

1–उत्तर प्रदेश राज्य,

2– मंजीत कुमार आर्या उम्र करीब 25 वर्ष पुत्र छंगा धोबी,

निवासी ग्राम बेलकर, थाना इकौना, जनपद श्रावस्ती।

... ...अभियोजक/वादी।

सत्र वाद संख्या– 163/2026

मुकदमा अपराध संख्या–320/2025

धारा–115(2), 352, 351(3) बी०एन०एस० तथा

3(1) द, ध, व 3(2)(Va) एस०सी०/एस०टी० एक्ट

थाना–इकौना, जनपद– श्रावस्ती।

<u>दिनांक–12.06.2026</u>

1– पत्रावली पेश हुयी। पत्रावली वास्ते सुनवाई नियमित जमानत आवेदन आज नियत है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण राम गोपाल वर्मा, शिवपाल वर्मा व रामपाल वर्मा की ओर से प्रार्थना पत्र आत्मसमर्पण प्रस्तुत किया गया, जिस पर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

2– नियमित जमानत आवेदन पत्र मय शपथ पत्र में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का यह न्यायालय प्रथम जमानत आवेदन है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से कोई भी जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय अथवा अन्य किसी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही विचाराधीन है और न ही निरस्त किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को मुकदमा उपर्युक्त में फर्जी तरीके से फंसाया गया है। सत्यता यह है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की धर्मपुर चौराहे पर टेन्ट की दुकान है। जहां से वादी

मुकदमा द्वारा भाड़े पर गद्दा व टेन्ट का सामान ले जाया गया तथा नौ दिन तक रखे रहे। नौ दिन बाद जब वादी मुकदमा से रजाई गद्दा व भाड़ा मांगा, तब वादी मुकदमा द्वारा 15 गद्दा गायब कर दिया गया और 3500/– रुपये भाड़ा भी नहीं दिया गया तथा आमादा फौजदारी हो गये और उसी रंजिश से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के ऊपर दबाव बनाने के उद्देश्य से उन्हें झूठी घटना दिखाकर फंसा दिया गया। डाक्टरी रिपोर्ट में वादी मुकदमा को कोई चोट आना दर्शित नहीं है। वादी मुकदमा के पिता का कोई डाक्टरी परीक्षण नहीं कराया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज कराई गई है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अपनी जमानतें देने के लिये तैयार है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण जमानत का दुरूपयोग नहीं करेंगे। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत प्रदान किये जाने की याचना है।

3– संक्षिप्त में अभियोजन कथानक यह है कि वादी मंजीत कुमार आर्या ने प्रभारी निरीक्षक इकौना को तहरीर दिया कि वादी हरिजन जाति अनुसूचित जाति धोबी है। विपक्षी धोबहा चौराहे पर टेन्ट का दुकान करते हैं। प्रार्थी विपक्षीगण के यहां से गद्दा किराये पर ले गया था, जिसे वापस भी कर गया था। इसके बाद विपक्षीगण दिनांक 04.12.2025 की शाम को समय करीब 05.00 बजे प्रार्थी से पुनः गद्दा मांगने लगे। प्रार्थी ने कहा कि उसने गद्दा दे दिया है। बस इतने पर विपक्षीगण प्रार्थी को जाति सूचक भद्दी–भद्दी गाली व जान माल की धमकी देते हुये लात, मुक्का, थप्पड़ से मारने–पीटने लगे। प्रार्थी को बचाने उसके पिता छंगा आये, तो उन्हें भी विपक्षीगण मारे–पीटे। झगड़ा व मार–पीट का वीडियो प्रार्थी के पास है। अतः रिपोर्ट लिखकर आवश्यक कार्यवाही किये जाने की याचना है।

4– वादी के उक्त तहरीर के आधार पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 320/2025 पंजीकृत किया गया। बाद विवेचना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।

5– मैंने प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता, वादी व राज्य के विद्वान अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया।

6– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को फर्जी पूर्व के रंजिशवश फंसाया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पूर्व से अंतरिम जमानत पर थे। उनके द्वारा अंतरिम जमानत की शर्तों का दुरुपयोग नहीं किया गया है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को नियमित जमानत पर रिहा किये जाने की याचना है।

7– वादी ने यह तर्क दिया है कि विपक्षीगण ने उसे मार–पीट कर गम्भीर चोट पहुंचाई है तथा जाति सूचक भद्दी भद्दी गालियां व जान से मारने की धमकी दिये हैं। अतः जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की याचना है।

8– अभियोजन की ओर से विद्वान अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने वादी को जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उसको मारा–पीटा तथा जान माल की धमकी भी दिया। विपक्षीगण ने वादी को बचाने आये उसके पिता को भी मारा–पीटा है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र को निरस्त किये जाने की याचना है।

9– प्रस्तुत मामले में प्रार्थीगण /अभियुक्तगण पूर्व से अंतरिम जमानत पर हैं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने आज न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है, जिस पर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया है। मामले में विवेचना पूर्ण होकर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल है। विवेचना के कोई तथ्य शेष नहीं है। मामले में लगायी गयी धाराओं में सजा अधिकतम सात वर्ष तक है। प्रार्थीगण /अभियुक्तगण ने न्यायालय द्वारा अंतरिम जमानत आदेश में लगायी गयी शर्तों का दुरुपयोग नहीं किया है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास के बारे में भी नहीं बताया गया है।

10– अतः उपर्युक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में , गुणदोष पर अंतिम निष्कर्ष दिये बिना ही प्रार्थीगण/अभियुक्तगण आदेश में उल्लिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किये जाने योग्य है।

आदेश

11– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **राम गोपाल वर्मा, शिवपाल वर्मा व रामपाल वर्मा** के विद्वान अधिवक्ता की ओर से सत्र वाद संख्या– 163/2026, मुकदमा अपराध संख्या–320 / 2025, धारा–115(2), 352, 351(3) बी०एन०एस० तथा 3(1) द, ध, व 3 (2) (Va) एस०सी०/एस०टी० एक्ट, थाना–इकौना, जनपद– श्रावस्ती के मामले में प्रस्तुत जमानत आवेदन प्रार्थीगण/अभियुक्तगण में से प्रत्येक के द्वारा मु० पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर स्वीकार किया जाता है।

दिनांक 12.06.2026

प्रभारी विशेष न्यायाधीश
एस०सी०/एस०टी० एक्ट, श्रावस्ती।